- 2 Improving Productivity.
- 3 Introduction Energy Conservation measures.
- 4 Improving availability of equipment through effective maintenance.
- 5 Improving product-mix, making value added items and meeting customer's requirements.
- (Reduction in consumption viz. coke, energy, stores & spares, etc.
- 7 Investment for modernisation /technological upgradation.

बैलाडिला स्थित लौह अयस्क खान

2758. **श्री राघकजी:** क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) बैलाडिला की लौह खदान नं॰ म्यारह-बी से लोहे का खनन किये जाने के संबंध में अद्यंतन स्थिति क्या है:
- (ख) इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा क्या-क्या सिफारिशें की 'गयी हैं:
- (ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय लिया है; और
- (घ) यदि नहीं, तो ऐसा निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

इस्पान मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैस्का): (क) से (घ) नेशनल मिनरल' डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (एन॰एम॰डी॰सी॰) को मैसर्स निप्पन डेनरो इस्मत लि॰ (एन॰डी॰आई॰एल॰) के सहयोग से बैलाडिला निक्षेप II-बी का विकास करने के लिए 12/13 जून, 1995 को सरकार को मंजूरो दी गई थी। इस कार्य के लिए एन॰एम॰डी॰सी॰ और एन॰डी॰आई॰एल॰ ने 10 जुलाई, 1995 को एक संयुक्त उद्यम कंपनी नामतः बैलाडिला मिनरल डेवलपमेंट कंपनी लि॰ 31,7.95 को निगमित की गई थी। एन॰एम॰डी॰सी॰ ने निक्षेप II-बी के खनन पट्टे को संयुक्त उद्यम कंपनी के एक संयुक्त उद्यम कंपनी के स्वतन पट्टे को संयुक्त उद्यम कंपनी के एक संयुक्त उद्यम कंपनी के एक संयुक्त उद्यम कंपनी के उत्तन पट्टे को संयुक्त उद्यम कंपनी के एक संयुक्त उद्यम कंपनी के एक संयुक्त उद्यम कंपनी के एक संयुक्त उत्तन उद्यम कंपनी के एक संयुक्त उद्यम संयुक्त उद्यम कंपनी के एक संयुक्त उद्यम कंपनी के एक संयुक्त उद्यम कंपनी के एक संयुक्त उद्यम संयुक्त उद्यम संयुक्त उद्यम संयुक्त उद्यम कंपनी के संयुक्त उद्यम संयुक्त उद्यम संयुक्त के संयुक्त व्याम कंपनी के संयुक्त उद्यम संयुक्त के संयुक्त उद्यम संयुक्त के संयुक्त उद्यम संयुक्त के संयु

मध्य प्रदेश सरकार ने बैलाडिला निक्षेप-11-बी के खनन पट्टे को संयुक्त उद्यम कंपनी के पक्ष में हस्तान्तरित करने के लिए अपने दिनांक 6.1.96 के पत्र के माध्यम से खान मंत्रलव, भारत सरकार की मंजूरी मांगी थी जैसा कि एम॰एम॰आर॰डी॰ अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अनुसार अपेक्षित है। केन्द्र सरकार की

मंजूरी मांगते समय राज्य सरकार ने कतिपय शर्ते, जैसे संयुक्त उद्यम कंपनी की साम्या पूंजी में 20% की राज्य सरकार को भागीदारी, राज्य में एक इस्पात संयंत्र की स्थापना, राज्य में से ही, विशेष रूप से बस्तर जिले से श्रामिकों की नियुक्ति, संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा उस क्षेत्र में स्कूलों/औषधालयों की स्थापना इत्यादि, शामिल करने का प्रस्ताव किया था। खान मंत्रालय ने 21 मार्च, 1996 को, एम॰एम॰आर॰डी॰ अधिनियम, 1957 और खनिज रहत नियम, 1960 के प्रावधानों के अनुपालन की शर्त पर और इस शर्त पर कि इस हस्तान्तरण हेतु राज्य सरकार, प्रस्तावित संयुक्त उद्यम कंपनी अर्थात बैलाडिला मिनरल डेबलपमेंट कारपोरेशन लि॰ और एन॰एम॰डी॰सी॰ इन शर्तों पर एकमत हों और एक अनुबन्ध करें या अन्य कोई उचित वैधानिक कार्रवाई के जरिए एक हों, उस प्रस्ताव को मंजुरी दे दी थी।

खान मंत्रालय ने अपने दिनांक 13.6.96 के पत्र द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को यह सूचित करने का अनुग्रेध किया था कि क्या एन॰एम॰डी॰सी॰ ने खानिज राहत निथम, 1960 के नियम 27(3) के तहत् राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताबित शर्तों को शामिल करने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है।

मध्य प्रदेश सरकार ने अपने दिनांक 19.6.96 और 3.8.96 के पत्रों के माध्यम से इस्पात मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वह एन॰एम॰डी॰सी॰ को राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित शर्तों पर अपनी स्वीकृति भेजने का निदेश दे।

संसद सदस्य श्री गुरूदास दासगुप्त एवं श्री जीवन गय द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय, कलकता ने 16.4.96 को 11-बी के खनन पर्टे के हस्तान्तरण के निर्णय के संबंध में स्थान आदेश दिया था। उच्च न्यायालय ने 10.5.96 को अधिकारिता के आधार पर रिट याचिका खारिज कर दी थी। तथापि, उच्च न्यायालय द्वारा आदेश का प्रवर्तन 3 सप्ताह की अवधि के लिए, 31.5.96 तक, स्थिगत कर दिया गया था। इस आदेश के विरुद्ध संयुक्त उद्यम कंपनी की

112

याचिका पर कलकता उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि विद्वान विचारण न्यायाधीरा द्वारा दिया गया अंतरिम स्थगम तब तक निलंबित रहेगा जब तक कि अधिकारिता आधार पर मृल रिट याचिका को खारिज करने के विरुद्ध कंपनी द्वारा की गई अपील और गुरुदास दासगुप्त और श्री जीवन राय द्वारा की गई अपील का निपटान नहीं हो जाता। यह अपीलें अभी नियमित बैंच के समक्ष प्रस्तुत की जानी हैं।

बैलाडिला निक्षेप-!! बी के हस्तान्तरण के विरुद्ध जुलाई, 1996 में दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित मुकदमा भी दावर किया गया है!

यह विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण है और विभिन्न दृष्टिकोणों से इसकी विस्तृत जांच करने की आवश्यकता है। तथापि, यह मामला न्यायालय में लंबित है इसलिए सरकार न्यायिक अधिमत की प्रतीक्षा करेगी।

Total Value of Enemy Property

2759. SHRIMATI BASANTI SARMA: DR. SHRIKANT RAM-CHANDRA JICHKAR:

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

- (a) the total value of the enemy property which is with the Custodian of Enemy Property for India;
- (b) what part of the property is lying dead and what part of the property is put to productive use;
- (c) what will finally be done to this property;
- (d) what is the historical source of such property; and
- (c) what is the mechanism to monitoi work of the Custodian?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI BOLLA BULLI RAMAIAH): (a) Details of the value of Enemy Property with the Custodian of Enemy Property are as follows:

	Invested Amount Rs.) '(I	Maturity Amount (In n Rs.)
1. Treasury Bills (as on 30.8.96)	58,63,86,400	66,20,00,000
2. Amount in current A/C (as on 2.8.96)	11,27,506	
3 Buildings and landed properties	5,65,00,000(approximately)	
(as in 1970/71 4. Shares	2,06,00,000(Face value approx).	

As the values pertain to different points of time, it would not be appropriate to aggregate them.

(b) Except the amount lying in the Current Account, the entire property is put to productive use. The amount in the Current Account is required to be kept to

meet expenses like property tax, unforeseen repairs, etc.

(c) The Enemy Property Act, 1968 as amended from time to time, provides for the continued vesting of the enemy property vested in the Custodian of Enemy Property for India.